



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042026-272167
CG-DL-E-29042026-272167

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2067]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 29, 2026/वैशाख 9, 1948

No. 2067]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 29, 2026/VAISAKHA 9, 1948

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

(दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2026

का.आ. 2140(अ).— केंद्रीय सरकार, दूरसंचार (मानक, अनुरूपता निर्धारण और प्रमाणन को अधिसूचित करने की रूपरेखा) नियम, 2025 के नियम 5 के साथ पठित, दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, दूरसंचार उपकरण के लिए निम्नलिखित पुनरिक्षित मानकों को अधिसूचित करती है, अर्थात:-

क्रम संख्या	पुनरिक्षित मानकों की संख्या और नाम
(1)	(2)
1.	टी ई सी 30082605 आवश्यक अपेक्षाएँ कैरियर ग्रेड नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इक्विपमेंट

2.	टी ई सी 30092605 आवश्यक अपेक्षाएँ लोड बैलेंसर
----	--

2. आवश्यक अपेक्षाओं के लिए विद्यमान एवं पूर्वोक्त पुनरीक्षित मानक, प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि तक समवर्ती रूप से लागू रहेंगे, जिसके पश्चात केवल पुनरीक्षित मानक ही लागू रहेंगे।

[फा. सं. 24-03/2025-एसडी/टीईसी]

राजीव कुमार त्यागी, उप महानिदेशक

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department Of Telecommunications)
(TELECOMMUNICATION ENGINEERING CENTRE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2026

S.O. 2140(E).— In exercise of the powers conferred by section 19 of the Telecommunication Act, 2023 (44 of 2023) read with rule 5 of the Telecommunications (Framework to Notify Standards, Conformity Assessment and Certification) Rules, 2025, the Central Government hereby notifies the following revised standards for telecommunication equipment with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely: -

Sl. No.	Number and name of revised standards
(1)	(2)
1.	TEC 30082605 Essential Requirements Carrier Grade Network Address Translation Equipment
2.	TEC 30092605 Essential Requirements Load Balancer

2. The existing and the above revised standards for essential requirements shall remain in force concurrently for a period of ninety days from the date of publication, after which, only the revised standards shall be applicable.

[F. No. 24-03/2025-SD/TEC]

RAJEEV KUMAR TYAGI, Deputy Director General